



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 35628 वर्ष 2025

मोहम्मद हसन

....आवेदक(गण)

बनाम

गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से
उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद शादाब खान
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद सदाब खान तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद अपराध संख्या नंबर 44/2025 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 318(4), 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-D के तहत, पुलिस थाना साइबर अपराध, जिला कानपुर नगर में दर्ज है, और इस पर मुकदमे की सुनवाई अभी चल रही है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दी गई है और उक्त मामले में आवेदक को जोड़ने वाला कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो उसे समन जारी होने से पहले मिला हो। आरोपी-आवेदक ने न तो शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने की धमकी दी है और न ही उसके खाते में कोई रकम स्थानांतरण करने को कहा है। आगे यह भी कहा गया है कि जिस बैंक खाते में उक्त लेन-देन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुआ है, वह आवेदक के नाम पर नहीं है; इसलिए, इस अपराध से आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि अन्य सह-आरोपी... उन्होंने यह दलील दी है कि आवेदक को कथित लेन-देन से एक भी पैसा नहीं मिला है और वह इसका कोई लाभार्थी नहीं है। आरोपी-आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दी गई है और अब आवेदक को आगे की हिरासत में पूछताछ के लिए और अधिक समय तक रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह 03.08.2025 से जेल में बंद है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता . ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है और आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें शामिल आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाएगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। उनका कहना है कि आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से 1.97 करोड़ रुपये एक बैंक खाते में स्थानांतरण किए, जिसे आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने ही खोला था, और साइबर धोखाधड़ी करके उस पैसे को हड़प लिया। उनका आगे कहना है कि गवाहों में से एक, सलीम अकबर के बयान से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने अन्य सह-आरोपी आशिम के साथ मिलकर बैंक खाता खोला और उसमें धोखाधड़ी से पैसे जमा किए और फिर उन्हें निकाल लिया। आरोपी और सह-आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों की चेकबुक, डेबिट कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो उपरोक्त अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। उनका आगे कहना है कि जांच अधिकारी ने आवेदक को उपरोक्त अपराध से जोड़ने के लिए विश्वसनीय सबूत एकत्र किए हैं।

यह एक स्थापित कानून है कि जमानत देते समय, अदालत को इन बातों का ध्यान रखना होता है: आरोप की प्रकृति, उसके समर्थन में मौजूद सबूतों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, आरोपी का चरित्र, आरोपी से जुड़ी विशेष परिस्थितियाँ, अपराध में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसकी भूमिका और संलिप्तता, अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता, और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका।

इस न्यायालय का मानना है कि भारत में, प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हुई प्रगति और डिजिटल बुनियादी ढांचा के व्यापक रूप से अपनाए जाने के कारण साइबर-अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है; इनमें फिशिंग स्कैम, रैसमवेयर हमले, साइबर-स्टॉकिंग और डेटा ब्रीच शामिल हैं। 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों ने देश के डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ किया है, लेकिन साथ ही इन्होंने ऐसी कमज़ोरियों को भी उजागर किया है जिनका फ़ायदा साइबर-अपराधी उठाते हैं।

साइबर-अपराध पूरे देश में लोगों को प्रभावित कर रहा है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग कोई भी हो। अखबार, पत्रिकाएँ, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया साइबर-अपराध के अनगिनत निर्दोष पीड़ितों की आपबीतियों से भरे पड़े हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी करके उनकी मेहनत की कमाई लूट ली जाती है। ऐसे साइबर-अपराध हमारे समाज में बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, और इन पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में साइबर-अपराध एक 'खामोश वायरस' की तरह है— जो चुपके से वार करता है, उथल-पुथल मचा देता है, और समाज को सिर्फ़ पैसे का ही नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और प्रगति का भी नुकसान पहुँचाता है

उपर्युक्त को देखते हुए, न्यायालय आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है। तदनुसार, ज़मानत याचिका **खारिज** की जाती है।

5 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)